सोलर से उपभोक्ताओं को मिलेगी निशुल्क बिजली की सुविधा

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

औरंगाबाद। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत विद्युत उपभोक्ताओं को सहज, सुलभ एवं किफायती सौर ऊर्ज़ा उपलब्ध कराने तथा बिजली खर्च में कमी लाने के उद्देश्य से ऊर्ज़ा विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को औरंगाबाद के नगर भवन में विशेष सोलर मेला आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा, उप विकास आयुक्त कुमारी अनुपम सिंह, जिला परिषद अध्यक्ष प्रमिला देवी, जिला परिषद उपाध्यक्ष किरण सिंह, नगर परिषद अध्यक्ष उदय गुप्ता ने किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना स्वच्छ एवं हरित ऊर्ज़ा को बढ़ावा देने के साथ-साथ आम उपभोक्ताओं के बिजली खर्च को कम करने और उन्हें निशुल्क बिजली की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने लोगों से इस योजना का अधिकाधिक लाभ उठाने की अपील की। मेले में विभिन्न सोलर कंपनियों ने अपने उत्पादों एवं सेवाओं का प्रदर्शन किया। इसी क्रम में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत कार्यरत सोलर माउंट एनर्जी ने भी अपना स्टॉल लगाकर उपभोक्ताओं को आधुनिक सौर ऊर्ज़ा से जुड़े विभिन्न समाधान की जानकारी दी। सोलर माउंट एनर्जी के संचालक अजहर खान ने बताया कि कंपनी का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को सौर ऊर्ज़ा अपनाने के लिए प्रेरित करना है, ताकि वे अपने घर, दुकान, फैक्ट्री, स्कूल, अस्पताल एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में आधुनिक सोलर रूफटॉप सिस्टम स्थापित कर बिजली बिल पर होने वाले खर्च में उल्लेखनीय बचत कर सकें। उन्होंने कहा कि कंपनी उपभोक्ताओं को सोलर सिस्टम की स्थापना से लेकर तकनीकी परामर्श एवं आवश्यक सहायता भी उपलब्ध करा रही है। मेले में बड़ी संख्या में लोगों ने विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया तथा सोलर रूफटॉप सिस्टम, सरकारी सब्सिडी, नेट मीटरिंग और स्थापना प्रक्रिया से संबंधित जानकारी प्राप्त की।

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष बने डॉ. ब्रज किशोर सिंह

बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और सही परामर्श उपलब्ध करवाना आइएमए की प्राथमिकता

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

औरंगाबाद। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) औरंगाबाद शाखा की वर्ष 2026-27 की नई कार्यकारिणी का गठन कर लिया गया है। बुधवार की रात सिविल सर्जन डॉ. कृष्णा कुमार एवं जिले के वरिष्ठ चिकित्सकों की मौजूदगी में आयोजित अहम बैठक में सर्वसम्मति से नई टीम का शहर के आइएमए हॉल में चुनाव किया गया। नई कार्यकारिणी में प्रख्यात एवं वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. ब्रज किशोर सिंह को अध्यक्ष चुना गया है। वहीं डॉ. अभय कुमार को सचिव और डॉ. वकील अहमद को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस मौके पर नई कार्यकारिणी ने वर्ष 2026-27 के लिए अपनी भावी योजनाओं की रूपरेखा भी प्रस्तुत की। आइएमए के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने संकल्प लिया कि आइएमए सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियों पर विशेष ध्यान देगी। इस अवसर पर डॉ. ब्रज किशोर सिंह ने कहा, 'मेरा उद्देश्य मरीज और चिकित्सकों के बीच जो दूरी बढ़ रही है, उसको दूर करना है, वहीं आइएमए के किसी भी सदस्य को परेशानी न होने पाए, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि संस्था की ओर से स्वास्थ्य जागरूकता शिविर, निशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर तथा सतत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा ताकि आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और सही जानकारी मिल सके। डॉ सिंह ने जनवरी 2027 में औरंगाबाद में एक राज्यस्तरीय मेडिकल सेमिनार आयोजित करने की भी घोषणा की। इस सेमिनार में बिहार के साथ-साथ देशभर के विशेषज्ञ चिकित्सक भाग लेंगे और ग्रामीण स्वास्थ्य की चुनौतियों पर मंथन करेंगे। साथ ही साथ कुछ क्रिटिकल ऑपरेशन भी किए जाएंगे। आने वाले दिनों में 'हार्ड टू रिच एरिया' में मेगा स्वास्थ्य शिविर लगाएंगे जहां आज भी डॉक्टर की शक्ल देखना मुश्किल है। खासकर दूरदराज के ग्रामीण इलाके और नक्सल प्रभावित क्षेत्र हमारी प्राथमिकता होंगे। निवर्तमान सचिव डॉ. राजीव कुमार ने बताया कि बीते साल आइएमए ने दो बड़े मेगा हेल्थ कैंप लगाए। आईएमए परिसर में 700 मरीजों और पुलिस केंद्र में 350 लोगों का मुफ्त इलाज हुआ। उन्होंने कहा कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सबसे बड़ी बात है कि आइएमए से 12 नए सदस्य जुड़े और कदम से कदम मिलाकर साथ चलने के प्रति संकल्पित हुए। कार्यक्रम में आगे की निरंतरता के लिए 2027-28 की टीम भी घोषित कर दी गई। इसमें डॉ. अनिल कुमार सिन्हा अध्यक्ष, डॉ. पुष्पेंद्र कुमार सचिव और डॉ. बी. किशोर कोषाध्यक्ष होंगे।

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! | punjab national bank ...the name you can BANK upon!

सर्किल शास्त्र केन्द्र, सर्किल ऑफिस, ओल्ड जीटी रोड, औरंगाबाद, बिहार-824101

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9 (1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय सम्पतियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल सम्पतियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।

एतद द्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/चार्ज की गई है, जिसका रचनात्मक/भौतिक/प्रतीकात्मक कब्जा उसके द्वारा ले लिया गया है। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता को अपने बकाया की वसूली के लिए नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि पर 'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है' और 'जो कुछ भी है' पर बेचा जाएगा। संबंधित उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (गारंटरों) से सुरक्षित लेनदार, आरक्षित मूल्य और बयाना राशि जमा नीचे दी गई तालिका में सम्बंधित सम्पतियों के अनुसार होगी।

सुरक्षित परिसंपत्तियों की अनुसूची

लॉट नं.	शाखा का नाम / खाते का नाम / उधारकर्ता/गारंटर के खाते का नाम एवं पता	गिरवी रखी गई अचल संपत्तियों का विवरण/मालिक का नाम (संपत्ति को गिरवी रखने वाले)	(क) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के तहत मांग सूचना की तिथि (ख) बकाया राशि (ग) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जा की तिथि (घ) कब्जे की प्रकृति प्रतीकात्मक/भौतिक /रचनात्मक	क) आरक्षित मूल्य (लाख रुपये में) ख) ईएमडी ग) बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि/समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात ऋणभारों का विवरण
	शाखा: सासाराम (084600) 0846008700005222 **मेसर्स श्री सरयू जी राइस मिल** निवासी-ग्राम-पोस्ट-मोथा, पुलिस स्टेशन-काराकाट (गोराड़ी), जिला-रोहतास, बिहार, पिन-802214 **श्री अशोक कुमार सिंह** पिता-सरयू सिंह निवासी-ग्राम-पोस्ट-मोथा, पुलिस स्टेशन-काराकाट (गोराड़ी), जिला-रोहतास, बिहार, पिन-802214 **श्री कुमार विनोद सिंह पिता-सरयू सिंह** निवासी-ग्राम-पोस्ट-मोथा, पुलिस स्टेशन-काराकाट (गोराड़ी), जिला-रोहतास, बिहार, पिन-802214 **श्री कुमार प्रमेन्द्र पिता-सरयू सिंह** निवासी-ग्राम-पोस्ट-मोथा, पुलिस स्टेशन-काराकाट (गोराड़ी), जिला-रोहतास, बिहार, पिन-802214 **श्री प्रमोद कुमार सिंह पिता-सरयू सिंह** निवासी-ग्राम-पोस्ट-मोथा, पुलिस स्टेशन-काराकाट (गोराड़ी), जिला-रोहतास, बिहार, पिन-802214 **विमला सिंह, पत्नी राजेन्द्र सिंह** (श्री राजेंद्र सिंह के कानूनी प्रतिनिधि) निवासी-ग्राम-पोस्ट-मोथा, पुलिस स्टेशन-काराकाट (गोराड़ी), जिला-रोहतास, बिहार, पिन-802214	मौजा-मोथा, खाता नं. 752, प्लॉट नं. 735 एरिया-1.89 एकड़, सेल डीड नं. 724 दिनांक 24.02.1995 2. मौजा-मोथा, खाता नं. 752, प्लॉट नं. 736 एरिया-1.46 एकड़, सेल डीड नं. 725 दिनांक 24.02.1995 3. मौजा-मोथा, खाता नं. 752, प्लॉट नं. 735 एरिया-40 डिसमिल, सेल डीड नं. 725 दिनांक 24.02.1995 4. मौजा-मोथा, खाता नं. 40, प्लॉट नं. 742 एरिया-98 डिसमिल, सेल डीड नं. 1681 दिनांक 04.04.1995 5. मौजा-मोथा, खाता नं. 677, प्लॉट नं. 741 एरिया-78 डिसमिल, सेल डीड नं. 1681 दिनांक 04.04.1995	ए. 04/11/2025 बी. रू. 1,89,39,439.50/- सी. 30.06.2026 डी. प्रतीकात्मक	ए. रू. 3,52,71,646/- बी. रू. 35,27,164.60/- सी. रू. 50,000/-	11/09/2026 दोपहर 12.00 बजे से शाम 16.00 बजे तक	ज्ञात नहीं

नियम एवं शर्तें:

बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों एवं शर्तों और निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:

1. संपत्तियों को 'जैसा है जहां है के आधार पर' और 'जैसा है जो है के आधार पर' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर बेचा जा रहा है। 2. यहां ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 3. बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट https://baanknet.com पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से 11.09.2026 को दोपहर 12.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक की जाएगी। 4. बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया https://baanknet.com एवं www.pnb.bank.in देखें। 5. प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी बोली को स्वीकार करने या सभी बोलियों को अस्वीकार करने, यदि स्वीकार्य न हो, या किसी भी समय बिना कोई कारण बताए नीलामी की रातों को स्थगित/रद्द/स्थगित/बंद करने या बदलने का अधिकार सुरक्षित है एवं इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 9 (1) के तहत वैधानिक बिक्री सूचना (विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा) प्राधिकृत अधिकारी

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! | punjab national bank ...the name you can BANK upon !

सर्कल ऑफिस, ओल्ड जीटी रोड, औरंगाबाद, बिहार – 824101

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय सम्पतियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल सम्पतियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतदद्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी / चार्ज की गई है, जिसका रचनात्मक / भौतिक/प्रतीकात्मक कब्जा उसके द्वारा ले लिया गया है। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता को अपने बकाया की वसूली के लिए नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि पर **'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है' और 'जो कुछ भी है'** पर बेचा जाएगा। संबंधित उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (गारंटरों) से सुरक्षित लेनदार, आरक्षित मूल्य और बयाना राशि जमा नीचे दी गई तालिका में सम्बंधित सम्पतियों के अनुसार होगी।

परिशिष्ट - IV - A |नियम 9 (1) का प्रावधान देखें (सुरक्षित परिसंपत्तियों की अनुसूची)

लॉट न.	शाखा का नाम / खाते का नाम / उधारकर्ता/गारंटर के खाते का नाम एवं पता	गिरवी रखी गई अचल संपत्तियों का विवरण/मालिक का नाम (संपत्ति को गिरवी रखने वाले)	(क) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के तहत मांग सूचना की तिथि (ख) बकाया राशि (ग) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्ज़ा की तिथि (घ) कब्जे की प्रकृति	क) आरक्षित मूल्य (लाख रुपये में) ख) ईएमडी ग) बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि/समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात ऋणभारों का विवरण
1	**शाखा-सासाराम (084600)** **खाता संख्या-1630300500065** **श्री संजय चौधरी** पिता श्री मोती चौधरी **निवास स्थानः** कोटा, एच.पी. गैस एजेंसी के पास, सासाराम, जिला-रोहतास, बिहार-822115 **इसके अलावाः** शोभागंज, सासाराम, जिला-रोहतास, बिहार-821115 **श्रीमती पन्ना कुँवर** पति श्री मोती चौधरी **निवासी-** शोभागंज, सासाराम, जिला-रोहतास, बिहार - 821115	**अचल संपत्ति स्थित हैः** मौजा- रजोखर, रेव थाना-122, खाता संख्या-13, प्लॉट संख्या-32, हल्का संख्या-6, थाना-सासाराम, जिला-रोहतास, क्षेत्रफल-1167 वर्ग फुट, सेल डीड संख्या 10832 दिनांक 28.07.2012 श्रीमती पन्ना कुँवर पति मोती चौधरी के नाम पर। **चौहद्दीः** उत्तर-निज, दक्षिण-निज, पूर्व-18 फीट रास्ता, पश्चिम-निज	क) 02.04.2022 ख) रु.15,11,096/- + अतिरिक्त ब्याज ग) 12.07.2022 घ) सांकेतिक	क) रु.17,81,600/- ख) रु.1,78,160/- ग) रु.25,000/-		
2	**शाखा - कुरैच (693400)** **खाता संख्या-69340087000000300** **मेसर्स खुशी इंटरप्राइजेज** प्रोप- अनिल साह पिता मुसाफिर साह **श्री अनिल साह** पिता मुसाफिर साह **श्री अनिल कुमार साह** पिता ललन साह **सभी निवासी हैंः** ग्राम- नवाडीह, पोस्ट - मेयारी बाजार, थाना-नोखा, जिला - रोहतास, बिहार	**अचल संपत्ति स्थित हैः** मौजा- नवाडीह, अंचल - सासाराम, थाना-नोखा, थाना संख्या - 412, हल्का संख्या-3, खाता संख्या-103 (सर्वे)/148 (चक), प्लॉट संख्या-58 (सर्वे)/ 45 (चक), क्षेत्रफल - 44½ डिसमिल, जिला - रोहतास जिसका सेल डीड संख्या - 12513 दिनांक 19.09.2014 श्री अरविन्द कुमार साह पिता ललन साह के नाम पर। **चौहद्दी** : उत्तर - निज मोकिर, दक्षिण- सिंगासन साह, पूर्व - वकील चौधरी, पश्चिम-छावर	क) 13.10.2016 ख) रु. 56,42,175.50 + अतिरिक्त ब्याज ग) 21.12.2021 घ) सांकेतिक	क) रु. 15,13,000/- ख) रु. 1,51,300/- ग) रु. 25,000/-	दिनांक 24.08.2026 को दोपहर 12:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक	ज्ञात नहीं
3	**शाखा-देवकुंड (1699)** **खाता संख्या-1699008700001175** **मेसर्स खुशी कृषि केंद्र** प्रोप- श्री हरेन्द्र कुमार सिंह **श्रीमती चंदकुंवर देवी** पति राधिका सिंह **श्री हरेन्द्र कुमार सिंह** पिता श्री राधिका सिंह **सभी निवासी-** ग्राम-डोर्रा, थाना-रामपुरचौरम जिला-अरवल, बिहार-804419	**1. अचल संपत्ति स्थित हैः** बंधक विलेख संख्या 2803, दिनांक 24.06.2014, खाता संख्या 175, प्लॉट संख्या-1964, क्षेत्रफल 3.43 डेसिमल, थाना संख्या 67, मौजा-डोर्रा, पोस्ट एवं थाना-रामपुरचौरम, जिला- अरवल, श्रीमती चंदकुंवर देवी पति राधिका सिंह के नाम पर। **चौहद्दी** : उत्तर - पोखरा, दक्षिण-ब्रन रजक एवं जोगी रजक, पूर्व-रास्ता, पश्चिम- बलिराम सिंह	क) 07.02.2019 ख) रु. 33,95,814/- + अतिरिक्त ब्याज ग) 21.02.2020 घ) सांकेतिक	क) रु. 27,71,000/- ख) रु. 2,77,100/- ग) रु.25,000/-		

नियम एवं शर्ते : बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों एवं शर्तों और निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगीः

1. संपत्तियों को 'जैसा है जहां है के आधार पर' और 'जैसा है जो है के आधार पर' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर बेचा जा रहा है। 2. यहां ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 3. बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट https://baanknet.com पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से **24.08.2026 को दोपहर 12.00 बजे से शाम 04.00 बजे** तक की जाएगी। 4. बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया **https://baanknet.com और www.pnbindia.in** देखें। 5. प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी बोली को स्वीकार करने या सभी बोलियों को अस्वीकार करने, यदि स्वीकार्य न हो, या किसी भी समय बिना कोई कारण बताए नीलामी की शर्तों को स्थगित /रद्द/ स्थगित / बंद करने या बदलने का अधिकार सुरक्षित है एवं इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 9 (1) के तहत वैधानिक बिक्री सूचना | विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा | प्राधिकृत अधिकारी